10

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 339/2022

जगदीश पुत्र मगनदास, निवासी लालपुर, तहसील व जिला झुंझुनूं, पिन कोड 333023

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील।

आदेश

दिनांक 02.11.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 19.10.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 339/2022 पर दिनांक 19.10.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2022/ 2409—10 दिनांक 19.10.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं ने पत्रांक पी0ए0/सू0अ0/2022/1251 दिनांक 27.10.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्व रिकार्ड चाहने बाबत ऑनलाईन पेश किया गया था। प्रकरण तहसीलदार झुंझुनूं से संबंधित होने के कारण प्रार्थना पत्र तहसीलदार झुंझुनूं को भिजवाया गया है। प्रार्थी को ऑनलाईन क्रमांक 9105417508 दिनांक 20.10.2022 एवं ऑफलाईन पत्र क्रमांक 1214—15 दिनांक 18.10.2022 द्वारा अवगत करवा दिया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं ने पत्रांक पी0ए0/सू0अ0/2022/1251 दिनांक 27.10.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्व रिकार्ड चाहने बाबत ऑनलाईन पेश किया गया था। प्रकरण तहसीलदार झुंझुनूं से संबंधित होने के कारण प्रार्थना पत्र तहसीलदार झुंझुनूं को भिजवाया गया है। प्रार्थी को ऑनलाईन क्रमांक 9105417508 दिनांक 20.10.2022 एवं ऑफलाईन पत्र क्रमांक 1214—15 दिनांक 18.10.2022 द्वारा अवगत करवा दिया गया है। चूंकि अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नही हुई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि तहसीलदार, झुंझुनूं अपीलार्थी को 7 दिवस मे निःशुल्क सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 02.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.14 16:51:06 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुंझुनूं